IN THE COURT OF PRINCIPAL JUDGE, FAMILY COURT, SIWAN

Maintenance Case No.- 296/2022

शकुन्तला देवी ------------आवेदिका

बनाम

सुनिल कुमार शर्मा ----------विपक्षी

Sr. No.	Date	Order with signature of the Court	Office Action/s taken with Date
	31-07-2024	आवेदिका की ओर से हाजिरी एवं आवेदन साथ शपथ पत्र से समर्थित वाद वापसी आवेदन दाखिल कर प्रचालित करते हुए निवेदन किया गया कि, आवेदिका और विपक्षी के बीच आपसी सहमती नहीं होने के पश्चात् उभयपक्ष द्वारा यह निर्णय लिया गया कि आपसी सहमती से तलाक वाद दाखिल कर स्थायी निदान कर लिया जाये जिसके तहत् उभयपक्ष ने एक तलाक वाद सं0 304/2023 श्रीमान के न्यायालय में आपसी सहमती से दाखिल किया गया जो श्रीमान् के न्यायालय में लंबित हैं। आपसी सहमती से तय सुदा मुताबिक तलाक वाद सं0 304/2023 सुलह हो चुका है। तथा एक दहेज प्रताड़ना का मोकदमा परिवादी (आवेदिका) द्वारा दाखिल किया गया था वह भी सुलह हो चूका है। उक्त परिस्थिति में प्रस्तुत भरण पोषण में आगे संघर्ष करना नहीं चाहती है तथा अपना वाद वापस लेना चाहती है। अतः निवेदन होगा कि, आवेदिका का वाद वापसी के आधार पर खारिज करने की कृपा की जाय। वाद पुकार पर आवेदिका अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज दाखिल आवेदन प्रचालित किया गया। सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद आवेदिका शकुन्तला देवी के द्वारा अपने भरण पोषण के लिए दाखिल किया गया है। आज आवेदिका की ओर से वाद वापसी हेतु शपथ पत्र से समर्थित वाद वापसी आवेदन दाखिल किया गया है। आज आवेदिका स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित है तथा अपना आवेदन का समर्थन करती है एवं आदेश फलक पर यह लिखते हुए कि वह यह वाद वापस ले रही है अपना हस्ताक्षर बनाई है। उपरोक्त परिस्थिति एवं वाद वापसी आवेदन के आलोक में आवेदिका का यह वाद, वाद वापसी के आधार पर खारिज करते हुए निष्तारित किया जाता है। लेखापित प्रधान न्यायाधीश, सिवान।	